<u>न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड,म.प्र.</u>
(आप.प्रक.क्रमांक :- 446 / 2014)
(संस्थित दिनांक :- 03 / 06 / 2014)

म.प्र. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :— गोहद चौराहा जिला—भिण्ड., म.प्र. **अभियोजन**

// विरूद्ध //

- 01. रामशरण कुशवाह पुत्र राजाराम कुशवाह उम्र 45 वर्ष।
- 02. सूरज कुशवाह पुत्र मुरारी कुशवाह उम्र 21 वर्ष। निवासीगण:— ग्राम लोधे की पाली, थाना—गोहद चौराहा, जिला—भिण्ड, (म.प्र.)

.....अभुयक्तगण

<u>// निर्णय//</u>

(आज दिनांक : 01/03/2017 को घोषित)

- 01. अभियुक्तगण रामशरण एवं सूरज कुशवाह पर भा.द.सं. की धारा 294, 324/34 एवं 506 भाग।। के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक :— 27/05/2014 को सुबह लगभग 06:30 बजे फरियादी सतेन्द्र सिंह के घर के सामने ग्राम लोधे की पाली स्थित आम रास्ते पर, जो कि एक लोकस्थान है, फरियादी सतेन्द्र सिंह को मॉ—बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी सतेन्द्र की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त रामशरण ने घातक आयुध सब्बल से फरियादी सतेन्द्र सिंह की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की एवं फरियादी सतेन्द्र को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य है।
- 03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :— 27/05/2014 को सुबह लगभग 06:30 बजे फरियादी सतेन्द्र सिंह के घर के सामने ग्राम लोधे की पाली स्थित आम रास्ते पर, आरोपीगण द्वारा फरियादी सतेन्द्र से गाली—गलौच करने, उसकी सब्बल एवं पटककर मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी सतेन्द्र द्वारा उसी दिनांक को थाना गोहद चौराहा पर की जाने पर,

थाना गोहद चौराहा में आरोपीगण रामशरण एवं सूरज के विरूद्ध अपराध क्रमांक 141/14 अन्तर्गत धारा 294, 323 एवं 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। फरियादी सतेन्द्र, साक्षीगण रमेश एवं अखिलेश के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- 04. अभियुक्तगण रामशरण एवं सूरज के विरूद्ध धारा 294, 324/34, 506 भाग।। भा. द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपीगण एवं फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्तगण को धारा 294 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।
- 05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:--
- 01. क्या आरोपी रामशरण ने दिनांक : 27 / 05 / 2014 को सुबह लगभग 06:30 बजे फरियादी सतेन्द्र सिंह के घर के सामने ग्राम लोधे की पाली स्थित आम रास्ते पर, सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी सतेन्द्र की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त रामशरण ने घातक आयुध सब्बल से फरियादी सतेन्द्र सिंह की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

फरियादी सतेन्द्र सिंह अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण रामशरण एवं सूरज को जानता है, आरोपीगण उसके गांव ग्रम लोधे की पाली के ही रहने वाले हैं। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 13 / 01 / 2017 से लगभग ढ़ाई साल पहले की उसके घर के सामने आम रास्ते की है। साक्षी आगे कहता है कि उस समय उसका आरोपीगण से मुहवाद हो गया था, जिस पर आरोपीगण ने उसे गालियाँ दी थी एवं उसकी लात-घूसों से मारपीट कर दी थी। इस संबंध में उसने रिपोर्ट पुलिस थाना गोहद चौराहा में लिखवाई थी, जो प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने इस संबंध में घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.03 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसका मेडीकल परीक्षण कराया था एवं घटना के संबंध में उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी सतेन्द्र सिंह अ.सा.०२ ने आरोपी रामशरण द्वारा दिनांक :- 27 / 05 / 2014 को सुबह लगभग 06:30 बजे घातक आयुध सब्बल से मारपीट कर उसे स्वेच्छयॉ उपहतियॉ कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इस वावत् फरियादी सतेन्द्र अ.सा.०२ की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 एवं उसके पुलिस कथन प्र. पी.04 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभाष की प्रकृति के है।

07. आरोपीगण एवं फरियादी सतेन्द्र के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और फरियादी सतेन्द्र अ.सा.02 के न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

08. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी रामशरण ने दिनांक :— 27/05/2014 को सुबह लगभग 06:30 बजे फरियादी सतेन्द्र सिंह के घर के सामने ग्राम लोधे की पाली स्थित आम रास्ते पर, सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी सतेन्द्र की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त रामशरण ने घातक आयुध सब्बल से फरियादी सतेन्द्र सिंह की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की।

09. अभियोजन आरोपीगण रामशरण एवं सूरज के विरूद्ध धारा 324/34 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्तगण को धारा 324/34 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

10. अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद